# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. रेक्टि. संख्या–16/2018/उदयपुर
2. रेक्टि. संख्या–17/2018/उदयपुर
3. रेक्टि. संख्या–18/2018/उदयपुर
4. रेक्टि. संख्या–19/2018/उदयपुर
5. रेक्टि. संख्या–20/2018/उदयपुर

मैसर्स जी.टी.सी. एसोसियेट्स, उदयपुर .....अपीलार्थी

**बनाम**

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा. .....प्रत्यर्थी

**खण्डपीठ**
**श्री के.एल.जैन, सदस्य**
**श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री रामकिशोर खदाव, उप राजकीय अभिभाषक. ....राजस्व की ओर से
अनुपस्थित. .....व्यवहारी की ओर से

**दिनांक : 16.10.2018**

## निर्णय

1. राजस्व द्वारा ये पांच रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 26.07.2017 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **"वेट अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये हैं।

2. इन समस्त प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं कर बोर्ड द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया, जिनमें व्यवसायी के नाम को निम्नानुसार दर्शाया गया है–

**"मैसर्स जी.एस.टी. एसोशिएटस, चेतक मार्ग, उदयपुर"**

4. उनवान में त्रुटिवश व्यवसायी का नाम 'मैसर्स जी.टी.एस. एसोशिएटस' के स्थान पर 'मैसर्स जी.एस.टी. एसोशिएटस' टंकित हो गया था जिसका भूल सुधार किया जाता है। भूल सुधार के पश्चात् आदेश में टंकित उनवान को निम्नानुसार पढ़ा जावें –

**"मैसर्स जी.टी.एस. एसोशिएटस, चेतक मार्ग, उदयपुर"**

5. अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत समस्त रेक्टिफिकेशन प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्तानुसार संशोधन किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

**(मदनलाल मालवीय)**
**सदस्य**

**(के.एल.जैन)**
**सदस्य**